रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28022025-261367
CG-MH-E-28022025-261367

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946
No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 28 फरवरी, 2025

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (प) के तहत अधिसूचना

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/232.—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [सिक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002] (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (प) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की तारीख 31 मार्च, 2008 की अधिसूचना (फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21670) को निरस्त किया जा रहा है (किंतु इस अधिसूचना के निरस्त होने से पहले जो कुछ भी किया गया हो या न किया गया हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा); और अब सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ [जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित (रेग्यूलेटिड) आवास वित्त (हाउसिंग फाइनेंस) कंपनियाँ शामिल हैं] वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा अर्हक क्रेता (क्वालीफाइड बायर) मानी जाएँगी, बशर्ते की नीचे दी हुई शर्तों का पालन किया जाए:

क. ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ [जिनमें आवास वित्त (हाउसिंग फाइनेंस) कंपनियाँ शामिल हैं] यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी कोई स्थिति पैदा न हो जिससे कि चूककर्ता संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या उनके संबंधित पक्ष (रिलेटिड पार्टी), प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) में निवेश करें और जमानत के तौर पर रखी गई आस्तियाँ (सिक्योर्ड असेट) उनके लिए उपलब्ध हो जाएँ; और

ख. ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ [जिनमें आवास वित्त (हाउसिंग फाइनेंस) कंपनियाँ शामिल हैं] उन अन्य शर्तों का पालन करें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ ।

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./1000/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th February, 2025

Notification under clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/232.—In exercise of the powers conferred under clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in supersession of the notification of Securities and Exchange Board of India number F. No. 11/LC/GN/2008/21670 dated 31st March, 2008, except as regards things done or omitted to be done before such supersession; all non-banking financial companies including housing finance companies, regulated by the Reserve Bank of India, are hereby specified as qualified buyers for the purposes of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) subject to the following conditions:

a. such non-banking financial companies including housing finance companies shall ensure that the defaulting promoters or their related parties do not directly or indirectly gain access to secured assets through security receipts; and

b. such non-banking financial companies including housing finance companies shall comply with such other conditions as the Reserve Bank of India may specify from time to time.

MADHABI PURI BUCH, CHAIRPERSON

[ADVT.-III/4/Exty./1000/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.28 21:50:02 +05'30'